



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 700 राँची, बुधवार, 8 अग्रहायण, 1945 (श०)
29 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 अक्टूबर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-109/2016-24512 (HRMS)--श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-182, दिनांक 29.02.2016 द्वारा सूचित किया गया कि श्रीमती सिन्हा दिनांक 05.09.2015 से बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। उक्त के आलोक में विभागीय आदेश सं0-7872, दिनांक 09.09.2016 द्वारा श्रीमती सिन्हा को निलंबित करते हुए विभाग स्तर से इनके विरुद्ध प्रपत्र-'क' का गठन किया गया। इनके विरुद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोप का सार निम्नवत् है:-

(i) श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से०, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा को इनके आवेदन, दिनांक-17.08.2015 के आलोक में विभागीय पत्रांक-8171, दिनांक-10.09.2015 द्वारा दिनांक-05.09.2015 से 19.09.2015 तक के लिए निजी व्यय पर अपने पति के पास सिंगापुर जाने हेतु अनुमति दी गयी थी, परंतु इनके द्वारा अवकाश पर सिंगापुर जाने के पूर्व अपने नियंत्री

पदाधिकारी उपायुक्त, कोडरमा को न तो सूचना दी गयी और न ही मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति प्राप्त की गयी।

(ii) श्रीमती सिन्हा दिनांक-05.09.2015 से अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना एवं अनुमति के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

(iii) श्रीमती सिन्हा का यह कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं०-8073, दिनांक 19.09.2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-102, दिनांक 04.11.2016 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3. श्रीमती सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-865, दिनांक 25.01.2017 द्वारा विषयगत आरोपों के लिए इन्हें भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए निलंबन से मुक्त किया गया तथा इनके निलंबन अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97(1)(क)(ख) के तहत निम्नवत् विनियमित किया गया-

(i) निलंबन अवधि की गणना मात्र पेंशनादि के प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में की जायेगी,

(ii) निलंबन अवधि में श्रीमती सिन्हा को मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. श्रीमती सिन्हा द्वारा क्रमशः दिनांक 04.09.2020 एवं दिनांक 04.12.2020 को अभ्यावेदन समर्पित कर झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97(1)(क)(ख) के तहत निलम्बन अवधि के सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मानते हुए पूर्ण वेतन-भत्ते के भुगतान हेतु विनियमित कर संशोधित आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गई, जिस पर विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि प्रसंगाधीन विषय पर पूर्व में किया गया आदेश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97(1)(क)(ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन है। आदेश के गुण-दोष पर आवेदिका द्वारा किसी प्रकार की चुनौती भी नहीं दी गयी है। ऐसी परिस्थिति में आवेदिका के आवेदन पर Review के निमित्त विचार किये जाने का समुचित आधार प्रतीत नहीं हो रहा है।

5. उक्त परामर्श के आलोक में श्रीमती सिन्हा के अभ्यावेदन पर कार्रवाई के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा इनको सक्षम प्राधिकार के समक्ष सर्विस अपील दायर करने का निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में श्रीमती सिन्हा का अपील अभ्यावेदन राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक-762, दिनांक 26.03.2021 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया। अपील अभ्यावेदन में इनके द्वारा कहा गया कि निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित निर्गत आदेश संशोधित करते हुए निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि के रूप में विनियमित की जाय। साथ ही इनके द्वारा कहा

गया कि इन्हें चेतावनी देते हुए निलम्बन से मुक्त किया गया है। चेतावनी झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (शास्तियाँ एवं अनुशासिक प्राधिकार) स्पष्टीकरण (3) के तहत कोई दण्ड नहीं है और इसी कारण इसे दण्ड की श्रेणी में नहीं रखा गया है। फलस्वरूप इनके द्वारा प्रासंगिक संकल्प के संबंध में पूर्व में कोई अपील दायर नहीं किया गया था ।

6. श्रीमती सिन्हा से प्राप्त अपील अभ्यावेदन के समीक्षा के क्रम में वित्त विभाग से मंतव्य प्राप्त की गयी। वित्त विभाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि “अब तक किसी पदाधिकारी के निलंबन अवधि के दौरान वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं किया गया है। निलंबन अवधि में वेतन वृद्धि तभी अनुमान्य किया जा सकता है जब निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि माना जाय। परन्तु प्रस्तुत मामले में मात्र पेंशनादि के प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि माना गया है एवं निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य किया गया है। प्रासंगिक मामले में वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं है।

7. श्रीमती सिन्हा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन एवं वित्त विभाग से प्राप्त परामर्श/मंतव्य के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा निलंबन मुक्ति हेतु निर्गत विभागीय संकल्प सं0-865, दिनांक 25.01.2017 के चार साल पश्चात् अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जो कालबाधित है। उनके द्वारा अपील आवेदन में निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित निर्गत आदेश संशोधित करते हुए निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मानने का अनुरोध किया गया ।

8. झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-24 के अनुसार कोई सरकारी सेवक निलंबन आदेश अथवा दण्ड आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। परन्तु श्रीमती सिन्हा द्वारा निलंबन आदेश/दण्ड आदेश के विरुद्ध नहीं बल्कि निलंबन अवधि के विनियमन से संबंधित शर्तों/कंडिकाओं के संशोधन हेतु अपील दायर किया गया है, जो कालबाधित भी है। उक्त आलोक में श्रीमती सिन्हा दायर अपील अभ्यावेदन विचार योग्य नहीं है ।

9. समीक्षोपरांत, श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GUNJAN KUMARI SINHA 110003181764	श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन अस्वीकार किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
